छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 1–1/2010/1–6 रायपुर, दिनांक 22 जून, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– **स्थानांतरण–नीति वर्ष 2010–11.**

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु स्थानांतरण नीति/प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. राज्य शासन के सभी विभागों में स्थानांतरण दिनांक 22 जून से 15 जुलाई, 2010 तक की अवधि में ही किए जा सकेंगे। तत्पश्चात् दिनांक 16 जुलाई, 2010 से स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा, परन्तु प्रतिबंध की अवधि में पैरा 17 एवं 18 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

2. जिला स्तर पर गैर–कार्यपालिक तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण के प्रस्ताव संबंधित विभाग के जिला प्रमुख द्वारा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाएंगे। जिला कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव पर परीक्षण उपरांत जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। प्रभारी मंत्री का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् स्थानांतरण आदेश संबंधित विभाग के जिला अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे ।

3. राज्य स्तरीय स्थानांतरण के प्रस्ताव विभागाध्यक्ष द्वारा शासन को प्रस्तुत किए जाएंगे। शासन स्तर पर स्थानांतरण प्रस्ताव के संबंध में भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् शासन स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे।

निरंतर......2

4. सभी विभागों द्वारा स्थानांतरण निर्धारित अधिकतम प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, यथा संभव कम से कम संख्या में आवश्यक स्थानांतरण ही किए जाएं।

5. (1) इन स्थानांतरणों के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि यदि अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव है तो उसके एवजीदार का भी प्रस्ताव (जो गैर–अनुसूचित क्षेत्र से हो) अनिवार्यतः रखा जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पद भरे जायें।

(2) शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्तियों का जो असंतुलन (इम्बेलेंस) है, उसे संतुलित (बेलेंस) करने का विशेष ध्यान रखा जाये। आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने प्रतिशत पद रिक्त हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग उसी के अनुरूप पद रिक्त रह सकें। ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि शहरी क्षेत्रों में लगभग सभी पद भरे हों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रिक्तियां बनी रहें।

(3) अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाये।

6. प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों (राज्य स्तर) के मामलों में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा 15 प्रतिशत रहेगी।

7. तृतीय श्रेणी के राज्य स्तरीय संवर्ग वाले कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम स्थानांतरण की सीमा 10 प्रतिशत रहेगी।

8. जिला स्तरीय संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरणों की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रहेगी।

9. स्थानांतरण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित मापदण्ड हो सकते हैं :–

(1) एक ही स्थान पर 31 मई, 2010 की स्थिति में ढाई वर्ष से अधिक कालावधि से पदस्थ हों,

(2) जिन शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय रह गया हो और वे गृह जिले में अथवा उनके विकल्प के स्थान पर स्वेच्छा से पदस्थापना चाहते हों,

(3) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके बारे में गंभीर स्वरूप की शिकायते हों और उन्हें ढाई वर्ष की कालावधि पूर्ण हुए बगैर ही प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरित करना आवश्यक हो,

निरंतर......3

(4) स्वेच्छा/स्वयं के व्यय पर स्थानांतर चाहने वाले अधिकारी/कर्मचारी बशर्ते उनका स्थानांतर करना प्रशासकीय दृष्टि से उचित हो,

(5) अन्य उचित प्रशासनिक आधार।

10. शासन स्तर से स्थानांतर करते समय जिला संवर्ग के शासकीय सेवकों के स्थानांतर उसी जिले के भीतर तथा संभागीय संवर्ग के शासकीय सेवकों के स्थानांतर उसी संभाग के भीतर और राज्य स्तरीय संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतर राज्य के भीतर किये जा सकेंगे।

11. कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतर के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

12. नवगठित जिलों में रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

13. पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से किये जाएंगे।

14. विभाग के भारसाधक मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के माध्यम से ही नस्ती प्रस्तुत की जाएगी।

15. **उपर्युक्त मार्गदर्शी निर्देशों की परिधि में न आने वाले स्थानांतरणों के मामले में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से समन्वय में आदेश प्राप्त किये जा सकेंगे और ऐसे स्थानांतरण अति आवश्यक होने पर ही किये जा सकेंगे।**

16. **स्थानांतरण आदेश जारी होने पर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाएगा और स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किये जाएंगे किन्तु** अत्यन्त विषम एवं विशेष परिस्थितियों में यदि किसी स्थानांतरण आदेश का निरस्तीकरण/संशोधन किया जाना आवश्यक हो तो उसके लिए प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्रीजी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

17. इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2010/1–6, दिनांक 5.6.2010 में निहित निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य से संबद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रगणक, सुपरवाईजर, चार्ज आफिसर का स्थानांतरण प्रिंसिपल/डिस्ट्रिक्ट सेन्सस आफिसर की सहमति के बिना दिनांक–31.03.2011 तक नही किये जाएंगे ।

18. निर्वाचन नियमावलियों के पुनरीक्षण का कार्य आरंभ हो चुका है। अतः उक्त कार्यों में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे।

निरंतर......4

19. राजस्व विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर्स को पटवारियों के स्थानांतरण के संबंध में जारी किए गए ज्ञापन क्रमांक एफ–1–165/2009/सात–1, दिनांक 08.09.2009 के परिप्रेक्ष्य में, जिन पटवारियों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है, उन्हें इस वर्ष स्थानांतरित नहीं किया जाए।

20. **स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में (अर्थात दिनांक 15 जुलाई, 2010 के पश्चात्) अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में ही, मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत स्थानांतरण किये जा सकेंगे।** विभाग द्वारा समन्वय में आदेश प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में, स्थानांतरण से प्रभावित होने वाले शासकीय सेवक/सेवकों के संबंध में निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जानकारी दी जाना आवश्यक होगा एवं प्रस्ताव में भी इस बात का आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना होगा कि प्रदेश में प्रश्नाधीन श्रेणी के कुल कितने शासकीय सेवक पदस्थ हैं तथा अब तक स्थानांतरण कितने प्रतिशत किए गए हैं तथा समन्वय में प्रस्तावित किए जाने वाले स्थानांतरण को सम्मिलित करते हुए स्थानांतरण का कुल प्रतिशत कितना हो रहा है।

21. **निम्न प्रकार की पदस्थापनाओं में** अप्रत्यक्ष रूप से स्थानांतरण निहित होता है किन्तु इनके लिए प्रतिबंध की अवधि में भी **प्रकरण समन्वय में मुख्यमंत्रीजी के आदेश हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी पदस्थापनाओं के आदेश भारसाधक मंत्री के अनुमोदन से जारी किये जा सकेंगे** :–

(1) प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर विभाग के अधीन की जाने वाली पदस्थापना, यदि उससे कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता हो,

(2) किसी विभाग के शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के मामले छोड़कर) की सेवाओं को अन्य विभाग/संस्था में प्रतिनियुक्ति या डिप्लायमेंट (एक्स कैडर पदस्थापना) पर सौपा जाना, यदि दोनों विभाग इसके लिए सहमत हों ।

(3) मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित अथवा आपसी अदला–बदली की नीति अनुरूप छत्तीसगढ़ केडर में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी जो मध्यप्रदेश से भारमुक्त होकर छत्तीसगढ़ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं, की पदस्थापना, यदि उनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता हो,

(4) लोक सेवा आयोग से अथवा चयन समिति द्वारा चयनित नई नियुक्ति से संबंधित उम्मीदवारों की रिक्त पदों पर पदस्थापना,

(5) एक ही स्थान (शहर) पर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पदस्थापना,

(6) न्यायालय के निर्देश/निर्णय के पालन में स्थानांतरण कर पदस्थापना करना, यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता हो,

(7) पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापना, यदि कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं हो।

निरंतर......5

22. अखिल भारतीय सेवाओं तथा विभागाध्यक्षों के समस्त स्थानान्तर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करके ही किये जा सकेंगे।

23. **स्थानान्तरण नीति के पालन का दायित्व –**

(अ) जिला स्तर पर माननीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होने वाले स्थानांतरण के मामलों में जिले के संबंधित विभाग के जिला प्रमुख का यह दायित्व होगा कि, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतर, निर्धारित नीति के अनुरूप हो रहे हैं।

(ब) **राज्य स्तर के प्रकरणों में स्थानांतरण संबंधी उपरोक्त नीति/निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) जिम्मेदार रहेंगे,** जो निम्नलिखित सुनिश्चित करेंगे कि :–

1. स्थानांतरण नीति का समुचित पालन हो रहा है,
2. प्रतिबंधित अवधि में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की प्रत्याशा में विभाग द्वारा कोई स्थानांतरण आदेश जारी न हों, वरन् मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् ही स्थानांतरण आदेश जारी हो ।
3. प्रतिबंधित अवधि में समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश प्राप्त करने के पश्चात् जारी होने वाले स्थानांतरण आदेशों में यह उल्लेख आवश्यक रूप से हो कि स्थानांतरण आदेश मा. मुख्यमंत्री जी के समन्वय में आदेश प्राप्त करने के उपरांत जारी किए जा रहे हैं,
4. समन्वय के प्रकरण मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत किये जायें,
5. स्थानांतरण आदेश के अंत में यह टीप अवश्य अंकित की जाए कि स्थानांतरण किस आधार पर एवं किस स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर, किस अधिकारिता के अंतर्गत किया जा रहा है, एवं स्थानांतरण आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पृष्ठांकित की जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर.मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

निरंतर......6

पृ. क्रमांक एफ 1–1/2010/1–6 रायपुर, दिनांक 22 जून, 2010

प्रतिलिपि–

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/लोक आयोग/ महिला आयोग/किसान आयोग/युवा आयोग/ अनुसूचित जनजाति आयोग/मानव अधिकार आयोग/अल्पसंख्यक कल्याण आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
5. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
6. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण,मंत्रालय, रायपुर।
7. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
10. उप महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
11. उप पंजीयक, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
12. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय, रायपुर।
13 मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़।
15. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़।
16. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
17. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

स्थानांतरण के समन्वय प्रकरणों में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम ....

क्र.	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापना का स्थान एवं दिनांक	प्रस्तावित पदस्थापना (स्थान)	प्रस्तावित पदस्थापना स्थान / जिले में पूर्व में पदस्थ रहे हों तो विवरण	प्रस्तावक	कारण 1. प्रशासनिक 2. आपसी 3. अन्य	विभागाध्यक्ष का मत	विभाग का मत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

टीप – **(अ)** प्रश्नाधीन संवर्ग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या ....(श्रेणी ....)
(ब) प्रश्नाधीन संवर्ग में पदस्थ कुल संख्या ....
(स) अब तक किए गए स्थानांतरण का प्रतिशत ....
(द) समन्वय में प्रस्तावित स्थानांतरण को शामिल करने पर स्थानांतरण का कुल प्रतिशत ....

अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा